उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 29/2022–23

जागो राय.....अपीलकर्त्ता

बनाम

राजेन्द्र राय.....उत्तरकारी।

आदेश

02.05.2023

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–08/1997–98 में पारित आदेश दिनांक–20.02.2001 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेख है कि मौजा गादीचुटो एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान सुन्दर राय थे। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के पुत्री खिरिया घाटवालिन के पोता है, किन्तु उत्तरकारी के गलत दावों के आधार पर उन्हें अंतिम प्रधान कुशमोदी राय के वंशज होने के नाते मौजा का प्रधान संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। जबकि अंतिम प्रधान सुन्दर राय थे। अनुमंडल पदाधिकारी पारित इस नियुक्ति आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा गादीचुटो के अंतिम प्रधान सुन्दर राय थे। सुन्दर राय अपीलकर्त्ता के परनाना थे। उत्तरकारी का दावा गलत है कि मौजा के अंतिम प्रधान कुसमोदी राय थे। उत्तरकारी को कुसमोदी का वंशंज होने के नाते उन्हें मौजा का प्रधान पद पर धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नही है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने दावों के संबंध में लिखित बहस के साथ गेंजर सर्वे सेटेलमेंट के 'ए' मिसील की प्रति दाखिल किया गया है।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क न्मि प्रकार है :–

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा का गेंजर प्रधान सुन्दर राय पिता विशन राय थे। विशन राय के तीन पुत्र भीतल राय, सुन्दर राय के ज्येष्ट पुत्र भीतल राय प्रधान थे, किन्तु, उनकी मृत्यु गेंजर सर्वे के पूर्व हो चुकी थी।

उनके दो पुत्र कुसमोदी रया एवं पुरन राय थे। चुँकि पूर्व मीतल राय के दानो पुत्र नावालिक थे, इसलिए पूर्व प्रधान के भाई सुन्दर राय को प्रधान नियुक्ति किया गया।

सुन्दर राय के मात्र एक पुत्री खिरिया घाटवालिन थी, जिनकी शादी चिलबेदिया में हुई थी। एवं अपने ससुराल में ही रहती थी। फलस्वरूप पूर्व प्रधान सुन्दर राय के भतीजा कुसमोदी राय को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया और वह वर्ष 19.12.97 तक प्रधान पद पर कार्यरत था। उसके मुत्यू के पश्चात् उनके पुत्र राजेन्द्र राय उत्तरकारी प्रधान पद संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त हुए। इनके नियुक्ति के आदेश को 22(वाईस) वर्षो के वाद चुनौती दी गई है। अपीलकर्त्ता का यह दावा गलत है कि अंतिम प्रधान सुन्दर राय थे, बल्कि मौजा का अंतिम कुसमोदी राय थे। उत्तरकारी द्वारा अपने दावों के समर्थन में मौजा गार्दी चुटो का लगान अंचल कार्यालय जामा में जमा की गई रसीद वर्ष 1990–91 एवं 1992–93 की छायाप्रति तथा लगान जमा करने हेतु कुसमोदी राय प्रधान को अंचल कार्यालय जामा से निर्गत नोटिस की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है किन्तु अंचल अधिकारी से विभिन्न स्मारो के वाद भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है कि 16/–रैयतों को नोटिस तामिल है और आपत्ति नहीं दिया गया है इसलिए उत्तरकारी को उनके पिता के स्थान पर संथाल पगरना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधाान नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration:

The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

1.The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

3. "The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman. if the heir be a minor, he may be appointed headman with *Sarbrakhar* can be found, the right of the minor lapses.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुसमोदी राय के द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 1992–93 की मौजा का लगान अंचल कार्यालय में कार्यरत प्रधान के रूप में जमा किया गया है तथा प्रधान होने के नाते लगान जमा करने हेतु अंचल कार्यालय से नोटिस भी प्राप्त है। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मौजा का अंतिम प्रधान उत्तरकारी के पिता कुसमोदी राय थे, किन्तु अपीलकर्त्ता का दावा है कि मौजा का गेंजर प्रधान सुन्दर राय थे। गेंजर प्रधान सुन्दर राय की एक पुत्री खिरिया घटवालीन थी। जिनकी शादी चिलगदिया गॉव में हुई थी। गेंजर प्रधान के कोई पुत्र नहीं होने के कारण इनके भतीजा उत्तरकारी के पिता कुसमोदी राय को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रधान नियुक्त किया। उत्तरकारी को प्रधान पद पर पी0ए0 वाद सं0–08/1997–98 में पारित आदेश दिनांक–20.02.2001 द्वारा नियुक्ति हुई है। उत्तरकारी के नियुक्ति के पूर्व मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया है तथा नोटिस का तामिला भी प्राप्त है। इनके नियुक्ति के समय सौलह आना रैयतों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। अपीलकर्त्ता द्वारा नियुक्ति आदेश को 22 वर्षो के वाद चुनौती दी गई है, किन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा इतने वर्षो के वाद अपील दायर के संबंध में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। सौलह आना रैयतों की ओर से भी वर्त्तमान प्रधान के कार्यकलाप पर किसी प्रकार का शिकायत नहीं है।

लिमिटेशन एक्ट 1963 के धारा–107 के अनुसार 12 वर्षो के अन्तर्गत ही उत्तराधिकारी का दावा किया जा सकता है। जो निम्न प्रकार है :–

धारा–107- For Possession of a hereditary office. 12 Years when the defendant takes possession of the office adversely to the plaintiff.

उपरोक्त प्रावधान के साथ नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत के आलोक में अपीलकर्त्ता के दावों पर जाँच उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को निदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता के दावों पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की ज़ाय तथा जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

73 23/5/23
2. CR Return

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.05.24 17:43:24 +05:30
Location: 169.254.227.244